मंत्रिपरिषद के निर्णय

सब का कल बेहतर बनाने के फैसले...

पुलिस तथा आदिवासी विभाग के 2431 पदों को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 21 जनवरी को मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में कानून-व्यवस्था तथा अपराधों की विवेचना को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पुलिस विभाग के लिये 1500 नये पदों के लिये मंजूरी दी गई। इनमें से नक्सल प्रभावी क्षेत्र के लिये 176 पद, चार बड़े शहर-भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर के थानों-चौकियों के लिये 770 पद, अन्य स्थानों के थानों तथा चौकियों के लिये 282 पद, नव गठित जिलों तथा सुरक्षा दस्तों के लिये 272 पद शामिल हैं। इन स्वीकृत पदों में एक पुलिस अधीक्षक, 6 पुलिस उप अधीक्षक, 20 निरीक्षक, दो सूबेदार, 180 उप निरीक्षक, 220 सहायक उप निरीक्षक, 336 प्रधान आरक्षक और 735 आरक्षक के पद हैं। इन पदों के निर्माण पर 3788.50 लाख रुपये का सालाना व्यय भार आयेगा।

इसी प्रकार मंत्रिपरिषद ने पुलिस विभाग के अंतर्गत विशेष शाखा फील्ड इकाइयों को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 331 नये पदों के निर्माण के लिये भी मंजूरी दी। इन पदों में उप पुलिस अधीक्षक 2, निरीक्षक 15, उप निरीक्षक 19, सहायक उप पुलिस निरीक्षक 85, प्रधान आरक्षक 94, आरक्षक 116 पद शामिल हैं। इन पदों की स्वीकृति से प्रदेश में आतंकवादी गतिविधियों तथा शांति एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आसूचना संगठन को सुदृढ़ किया जा सकेगा। इन पदों के निर्माण पर 6.71 करोड़ रुपये का व्यय भार आयेगा।

आदिवासी विकास विभाग के लिए नए पद

मंत्रिपरिषद ने आदिवासी विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न छात्रावासों और आश्रमों के लिये चतुर्थ श्रेणी के 600 नये पदों को भी मंजूरी दी।

न्यायिक प्रकरणों के प्रभारी अधिकारियों को मानदेय

मंत्रिपरिषद ने न्यायिक प्रकरणों में राज्य शासन के पक्ष समर्थन के लिये नियुक्त प्रभारी अधिकारियों को मानदेय स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। इसके अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रति प्रकरण के लिये एक हजार रुपये तथा उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रति प्रकरण के लिये 1500 रुपये मानदेय दिया जायेगा। एक अधिकारी को इस मानदेय की प्रतिपूर्ति राशि की अधिकतम सीमा दस हजार रुपये प्रतिमाह होगी।

मंत्रिपरिषद ने विभागीय जाँच के मामले में जांचकर्तौप्रस्तुतकर्ता अधिकारियों को मानदेय स्वीकृत करने का भी निर्णय लिया है। जांचकर्ता अधिकारी को रुपये दो हजार प्रति जांच प्रकरण, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को एक हजार रुपये प्रति प्रकरण तथा सेवानिवृत्त जांच अधिकारी को रुपये पांच हजार प्रति प्रकरण मानदेय दिया जा सकेगा। मानदेय इस शर्त पर दिया जायेगा कि संबंधित अधिकारी विभागीय जांच का निराकरण एक वर्ष के भीतर पूर्ण कर लेगा। ऐसा नहीं करने पर मानदेय की पात्रता नहीं होगी तथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकेगी।

विधायकों को ब्याजमुक्त वाहन ऋण

मंत्रिपरिषद ने तेरहवीं विधानसभा के सदस्यों को वाहन क्रय ऋण के लिये ब्याज अनुदान देने का निर्णय लिया है। वाहन ऋण की सीमा रुपये पांच लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये की गई है परन्तु अनुदान पांच लाख की सीमा तक ही दिया जायेगा। अनुदान केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिये जाने वाले ऋण पर ही दिया जायेगा। ऐसे सदस्यों को वाहन ऋण के दस वर्ष पूरे हो गये हो और उनका संपूर्ण ऋण ब्याज सहित अदा हो गया हो उन्हें भी दुबारा ऋण और अनुदान के लिये पात्र माना जायेगा।

चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर के न्यूरो सर्जरी विभाग का उन्नयन

मंत्रिपरिषद ने न्यूरो सर्जरी विभाग के उन्नयन के लिए परियोजना परीक्षण समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुमोदन किया। समिति द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय के न्यूरो सर्जरी विभाग में कुल 65 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया जिस पर 105.00 लाख का व्यय अनुमानित है। इसी प्रकार वार्ड के लिए उपकरणों पर कुल 250 लाख रुपये का व्यय करने का निर्णय लिया गया।

चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में ट्रामा सेंटर का उन्नयन

मंत्रिपरिषद ने ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय के ट्रामा सेंटर के उन्नयन का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित परियोजना परीक्षण समिति की बैठक में कुल 76 पदों के निर्माण के निर्णय का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया। इस पर लगभग 132.00 लाख रुपये का व्यय होगा।

मानसिक चिकित्सालय इंदौर का सुदृढ़ीकरण

मंत्रिपरिषद ने 92 वर्ष पुराने मानसिक चिकित्सालय इंदौर के सुदृढ़ीकरण की अनुशंसाओं का अनुसमर्थन किया। मानसिक चिकित्सालय में 650 लाख रुपये की लागत से केन्टीन, डे-केयर सेन्टर, हाफवे होम्स एवं आवासीय स्टाफ क्वाटर्स बनाने को सहमति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद द्वारा 58 नए पदों की स्वीकृति तथा चिकित्सालय के उपयोग हेतु उपकरण, फर्नीचर

एवं वाहन क्रय करने के निर्णय का अनुसमर्थन किया।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चिकित्सा सहायता अनुदान में वृद्धि

मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता अनुदान राशि को 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये तक करने का निर्णय लिया गया। मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मध्यप्रदेश स्वतंत्रता संग्राम सैनिक सम्मान निधि नियम-1972 के तहत निधिसुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, जिसमें चिकित्सा सहायता अनुदान भी शामिल है।

वर्तमान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गंभीर बीमारियों के उपचार के लिये 20 हजार रुपये तक की राशि दी जा रही है। मंत्रिपरिषद ने वर्तमान परिस्थितियों में चिकित्सा व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि होने से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की चिकित्सा सहायता अनुदान में भी 50 हजार रुपये तक की वृद्धि की है।

उल्लेखनीय है कि अभी तक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पांच हजार रुपये तक की चिकित्सा सहायता अनुदान स्वीकृति संबंधित कलेक्टर द्वारा दी जाती है। इससे अधिक राशि का प्रस्ताव शासन को भेजा जाता है। चिकित्सा अनुदान 20 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये किये जाने पर 20 हजार रुपये तक की राशि जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जायेगी। इससे अधिक होने पर चिकित्सा व्यय की राशि की स्वीकृति राज्य शासन द्वारा जारी की जायेगी।

अप्रवासी भारतीयों को निवेश के लिये प्राथमिकता देने के प्रस्ताव को स्वीकृति

मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम में प्रस्तावित संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

मंत्रिपरिषद ने जन संकल्प-2008 के अंतर्गत उद्योग विभाग से संबंधित अप्रवासी भारतीयों के निवेश को बढ़ाने के संकल्प के क्रियान्वयन के लिये चल रहे प्रयासों को मान्य करते हुए प्रवासी भारतीय निवेशकों द्वारा मध्यम अथवा वृहद उद्योग स्थापना के लिये भूमि आवंटन के लिये आवेदन को उच्चतम प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। यह प्राथमिकता निवेश के प्रस्ताव एवं उपयुक्तता जैसे बिन्दु समान रहने पर ही दी जायेगी। इस प्राथमिकता हेतु निवेश के न्यूनतम मापदण्ड भी निर्धारित किये जायेंगे। अप्रवासी भारतीय आवेदक द्वारा उद्योग स्थापना के लिये आवंटित भूमि पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप उद्योग स्थापित होने के बाद उत्पादन तिथि से पांच वर्ष तक भूमि का हस्तांतरण अथवा स्थापित औद्योगिक इकाई के गठन के स्वरूप को परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

मंत्रिपरिषद ने नियम में सभी औद्योगिक विकास निगमों का उल्लेख करने को स्वीकृति प्रदान की है। इसके अनुसार अब नियम में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इंदौर एवं उज्जैन तथा इण्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन ग्वालियर का स्पष्ट उल्लेख होगा।

मंत्रिपरिषद ने नियम में उद्योग आनुषांगिक प्रयोजन संबंधी प्रावधान में उद्योगों हेतु सहायक एवं आवश्यक गतिविधियों को भी सम्मिलित किया है।

नियम में श्रमिक एवं तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु भू-आवंटन संबंधी प्रावधान में भवन कुछ शर्तों के अधीन उनके लिये निर्मित करने को शामिल किया गया है।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों के प्रबंधन के अधीन विकास केन्द्रौंऔद्योगिक क्षेत्रों को नीलामी के प्रावधान से मुक्त रखने संबंधी प्रस्तावित संशोधन को भी स्वीकृति दी है। इसके साथ ही उद्योग संचालनालय के अधीन औद्योगिक क्षेत्रों में 95 प्रतिशत आवंटन योग्य भूमि के आवंटन के बाद शेष भूमि का आवंटन खुली निविदा के माध्यम से करने और खुली निविदा से आवंटन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है।

रायल्टी एवं भाटक की दरों का पुनरीक्षण

बैठक में गौण खनिजों की रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक की दरों का पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया। गौण खनिजों की रायल्टी एवं अनिवार्य भाटक में प्रस्तावित वृद्धि से राज्य को लगभग 79 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकेगा।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के लिये जमीन आवंटित

मंत्रिपरिषद ने अनूपपुर में इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के लिये 150.144 हैक्टेयर भूमि आवंटित की है। जनजातीय विश्वविद्यालय के लिये कलेक्टर अनूपपुर ने मध्यप्रदेश राज्य बीज विकास निगम को आवंटित भूमि सार्वजनिक उपयोग में न आने के कारण जनजातीय विश्वविद्यालय के लिये आवंटित किये जाने की अनुशंसा की थी। कलेक्टर की अनुशंसा पर जनजातीय विश्वविद्यालय को उक्त भूमि आवंटित की गई है।

सासन पॉवर लिमिटेड, महान कोल लिमिटेड, रेल्वे विश्राम गृह को भूमि आवंटन की स्वीकृति

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में 29 जनवरी को सासन पॉवर लिमिटेड को आवंटित कोल ब्लॉक मुहेर एवं मुहेर अमलोरी परियोजना से विस्थापितों के पुनर्वास व बुनियादी संरचना के लिए शासकीय भूमि आवंटित करने, सिंगरोली जिले के ग्राम अमिलिया की शासकीय भूमि महान कोल लिमिटेड को आवंटित करने और उमरिया जिले के ग्राम ताला में रेल्वे विश्राम गृह के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने का निर्णय लिया गया।

मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है कि सासन पॉवर लिमिटेड को कोयला आपूर्ति करने के लिए आवंटित कोल ब्लॉक मुहेर एवं मुहेर अमलोरी विस्तार परियोजना के लिए पुनर्वास हेतु ग्राम अमलोरी की शासकीय कुल किता

16 रकबा 9.749 हैक्टेयर का आवंटन किया जाए। यह आवंटन वर्ष 2009-10 की गाइड लाइन के अनुसार मूल्यांकन एवं गैर कृषि प्रयोजन हेतु पूर्ण बाजार मूल्य एवं वाणिज्यिक भू-भाटक पर किया जाए।

मंत्रिपरिषद ने सिंगरौली जिले के ग्राम अमिलिया में महान कोल लिमिटेड को कुल किता 11, कुल रकबा 2.68 हैक्टेयर शासकीय भूमि कोयला उत्खनन के लिए वर्ष 2009-10 की गाइड लाइन अनुसार मूल्यांकन कर औद्योगिक प्रयोजन हेतु पूर्ण बाजार मूल्य एवं औद्योगिक वार्षिक भू-भाटक पर आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

मंत्रिपरिषद ने डिवीजनल इंजीनियर उमरिया (उत्तर) एस.ई.सी., रेल्वे बिलासपुर को ग्राम ताला, तहसील मानपुर जिला उमरिया में एक एकड़ भूमि रेल्वे विश्राम गृह निर्माण के लिए आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है।

विद्युत मंडल की तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती से 8135 पद भरे जाएंगे

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में रिक्त पदों के विरुद्ध सहायक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता एवं लाइन स्टाफ की सीधी भर्ती से नियमित नियुक्ति किये जाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में सीधी भर्ती से 8135 पद भरे जाएंगे। इसमें से तीनों वित्तीय वर्ष में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर में 2010, मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल में 2825 तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, इंदौर में 3300 पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों में तकनीकी स्टाफ की कमी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 में रिक्त पदों के विरुद्ध सीधी भर्ती मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड जबलपुर में 120 सहायक अभियंता, 90 कनिष्ठ अभियंता, 1800 लाइन परिचारक श्रेणी-2 के पद भरे जाएंगे। इसी प्रकार मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड भोपाल में 175 सहायक अभियंता, 250 कनिष्ठ अभियंता, 2400 लाइन परिचारक श्रेणी-2 तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर में 200 सहायक अभियंता, 100 कनिष्ठ अभियंता तथा 3000 लाइन परिचारक श्रेणी-2 के नियमित पदों को नियमानुसार सीधी भर्ती से भरे जाने का निर्णय लिया गया है।

सेवानिवृत्त चिकित्सकों को मानसेवी चिकित्सक घोषित किया जा सकेगा

बैठक में निर्णय लिया गया कि लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सेवानिवृत्त चिकित्सकों को आवेदन प्रस्तुत करने पर मानसेवी चिकित्सक घोषित किया जा सकेगा। इन्हें किसी भी प्रकार का मानदेयैपारिश्रमिक देय नहीं होगा।

इन मानसेवी चिकित्सकों द्वारा देखे गये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले रोगियों की सभी आवश्यक जांचें निःशुल्क की जाएंगी। ऐसे रोगियों को शासकीय अस्पतालों से निःशुल्क औषधियां दी जाएंगी। इन चिकित्सकों द्वारा देखे गये शासकीय कर्मचारियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की पात्रता होगी। इन मानसेवी आधार पर संलग्न चिकित्सकों के परचे पर सिविल सर्जनैचिकित्सालय प्रमुख के प्रतिहस्ताक्षर के बाद सामान्य प्रक्रिया अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति मान्य होगी। इसके लिए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 1958 में आवश्यक संशोधन किया जाएगा।

मंत्रिपरिषद ने आयुष विभाग के अधीन आयुर्वेद महाविद्यालयों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों के पदों पर विज्ञापन के बाद भी इन वर्गों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने की स्थिति में इन पदों के विरुद्ध अनारक्षित वर्ग से संविदा नियुक्ति देने की अनुमति देने का निर्णय लिया। यह अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि भविष्य में रिक्त होने वाले अनारक्षित पदों पर इनको नियमित नियुक्ति प्रदान कर समायोजन किया जाएगा। साथ ही इस प्रकार रिक्त होने वाले आरक्षित पदों को क्रमशः विज्ञापित किया जाता रहेगा और आरक्षित वर्ग के लोक सेवक उपलब्ध होने पर आरक्षित पदों पर उन्हें नियमित नियुक्ति दी जाएगी।

मंत्रिपरिषद ने मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपने कर्मचारियों को दिये गये छठवें वेतनमान का अनुसमर्थन किया।

राज्य प्रशासनिक सेवा के रिक्त 25 पदों की पूर्ति राज्य सेवा परीक्षा के माध्यम से होगी

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य सेवा परीक्षा- 2009 में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले उप जिलाध्यक्ष के पदों की पूर्ति किये जाने का निर्णय लिया है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के तहत राज्य प्रशासनिक सेवा के रिक्त 25 पदों की पूर्ति राज्य सेवा परीक्षा 2009 के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

राज्य वेतन आयोग के कार्यकाल में तीन माह की वृद्धि

मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य वेतन आयोग के कार्यकाल में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा लिये गये निर्णय के अंतर्गत राज्य वेतन आयोग को सौंपे गये विचारणीय विषयों में अतिरिक्त विचारणीय विषय जोड़ते हुए आयोग ने कार्यकाल में 31 मार्च तक तीन माह की वृद्धि किये जाने संबंधी विभागीय अधिसूचना 31 दिसम्बर, 2009 जारी करने संबंधी मुख्यमंत्री के आदेश 18 जनवरी, 2010 का अनुसमर्थन किया गया है।

❖